प्रेस नोट
दिनांक 29.01.2025

थाना को0 नगर द्वारा वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन/फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 01 और आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 06 अदद कूटरचित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 19 अदद विभिन्न प्रकार की नकली मोहरें, 01 अदद चार पहिया कार(अल्टो) व 01 अदद मोबाइल फोन बरामद-

गोण्डा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-38/2025, धारा 318(4), 319(2), 336, 338, 340(2), 61(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त भीमसेन तिवारी पुत्र ध्रुवचन्द्र तिवारी निवासी गौहानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को जेल चौकी के पास पावर हाउस से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 19 अदद विभिन्न प्रकार की नकली मोहरें, 01 अदद चार पहिया कार(अल्टो) व 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.01.2025 को थाना को0 नगर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा आर0टी0ओ0 आँफिस के पास स्थित आनलाइन/फोटो कापी/लोकवाणी के दुकानदार आशुतोष उर्फ गायत्री तिवारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 04 अदद फर्जी वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 01 अदद नकली मोहर व 124 अदद वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनाने वाले ब्लैंक/खाली पेपर व 01 अदद एण्ड्रायड व 01 अदद कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया था तथा पुलिस लाइन मोड़ स्थित फोटो कापी की दुकान में दबिश देकर अभियुक्त मसीउल्लाह उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 अदद वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, 36 अदद नकली मोहरें व 36 अदद वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनाने वाले ब्लैंक/खाली पेपर व 01 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन बरामद कर जेल भेजा गया था तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गई थी।

आज दिनांक 29.01.2025 को फरार चल रहे आरोपी अभियुक्त भीमसेन तिवारी पुत्र ध्रुवचन्द्र तिवारी निवासी गौहानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को जेल चौकी के पास पावर हाउस से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 19 अदद विभिन्न प्रकार की नकली मोहरें, 01 अदद चार पहिया कार(अल्टो) व 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. भीमसेन तिवारी पुत्र ध्रुवचन्द्र तिवारी निवासी गौहानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-38/2025, धारा 318(4), 319(2), 336, 338, 340(2), 61(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 06 अदद कूटरचित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र,
02. 19 अदद विभिन्न प्रकार की नकली मोहरें,
03. 01 अदद चार पहिया कार(अल्टो) UP32JK6442
04. 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रजनीश द्विवेदी
02. का0 दीपक कुमार
03. का0 राजेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 29.01.2025

ऑपरेशन "साइबर कवच" के दृष्टिगत महिला थाना के साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा बाल विकास परियोजना झंझरी खण्ड कार्यालय में जाकर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, महिलाओं व आम नागरिकों को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये-नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन "साइबर कवच" अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों द्वारा प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित कर महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 29.01.2025 महिला थानाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह व गठित साइबर हेल्पडेस्क द्वारा बाल विकास परियोजना झंझरी खण्ड कार्यालय में जाकर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व आमजनमानस के साथ साइबर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। जागरूकता के दौरान साइबर जागरूकता टीम द्वारा सभी को साइबर अपराध की जानकारी दी गयी और बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है । इसी क्रम में ATM में ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर एटीएम/बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी जैसे OTP, CVV नम्बर आदि कभी भी किसी से साझा न करे। बीमा कम्पनी, नौकरी.कॉम के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(X), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली-भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें। अन्त में सभी से आग्रह किया गया की दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस-पड़ोस में अधिक से अधिक लोगों को बतायें जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। जागरूकता के दौरान में उपस्थित आमजन को पम्पलेट वितरित किये गये तथा जनपदीय पुलिस द्वारा ATM, बैंक व वित्तीय संस्थान के आस पास साइबर पोस्टर/पम्पलेट चस्पा किया गया।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें

02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।

03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।

05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।

06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।

07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।

08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।

09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।

10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।

11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनाकं – 29.01.2025, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-39/2025, धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गनेश प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 छेदीलाल निवासी रानी बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को मोहल्ला रानीबाजार से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.01.2025 को वादी अनुज कुमार पुत्र स्व0 राजाराम निवसी ददुवा बाजार मकारतीगंज थाना को0नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0नगर पुलिस को सूचना दी कि उसके मकान को विपक्षीगण अपने नाम बैनाम कराकर मकान पर लोन ले लिया तथा उक्त मकान को खाली करने की नोटिस भेजवाकर खाली कराने की धमकी देने लगे जिससे उनका भाई क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर लिया। तहरीर के आधार पर थाना को0नगर पर मु0अ0सं0-39, धारा 108 बीएनएस बनाम गणेश प्रसाद गुप्ता आदि 02 अभियुक्तों को विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है आज दिनांक 29.01.2025 को थाना को0नगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त गनेश प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 छेदीलाल निवासी रानी बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को मोहल्ला रानीबाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. गनेश प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 छेदीलाल निवासी रानी बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-39/2024, धारा 108 बीएनएस थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विपुल कुमार पाण्डेय
02. हे0का0 विश्वमित्र त्रिपाठी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.01.2024, कोतवाली देहात,
जनपद गोण्डा।

थाना को0देहात पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने के शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में गठित थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 26/2025, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- 01. चन्द्र प्रकाश पुत्र राम परसिन निवासी ग्राम सिंहपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को सोनबरसा चौराहा से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल (एचएफ डीलक्स) बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री पवन कुमार पुत्र वंशराज ग्राम परसा सोहसा थाना को0देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात पर सूचना दिये कि दिनांक 28.01.2025 को अपनी दुकान के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके बगल में चला गया था कि अज्ञात चोर मोटरसाइकिल चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में मु0अ0स0- 26/2025, धारा 303(2) बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मोटरसाइकिल बरामदगी हेतु कुल कई टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 29.01.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त-01. चन्द्र प्रकाश पुत्र राम परसिन निवासी ग्राम सिंहपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को सोनबरसा चौराहा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल चोरी की बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. चन्द्र प्रकाश पुत्र राम परसिन निवासी ग्राम सिंहपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 26/2025, धारा 303(2), 317 बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. HF डीलक्स मोटरसाइकिल UP43V5503 चोरी का बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रामप्रकाश चन्द्र
02. उ0नि0 अक्षय कुमार चौधरी
03. हे0का0 सोहन प्रसाद

मीडिया सेल, गोण्डा।